THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government signed on 14th October, 1997 the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The question of ratifying the Convention is engaging the attention of the Government.

(d) In view of the reply given to (b) & (c) above, does not arise.

मध्य प्रदेश से सशस्त्र बलों में भर्ती

*517. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रक्षा सेनाओं के तीनों स्कंधों में मध्य प्रदेश से की गई भर्ती का वर्ष-वार, श्रेणी-वार और स्कंध-वार व्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश से की गई भर्तियों की कुल संख्या अन्य राज्यों से की गई भर्तियों की संख्या की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी और ग्रामीण युवकों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में कुल कितने भर्ती केन्द्र हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने केन्द्रों से भर्ती की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नाडीज): (क) से (ङ) 1. सेना, नौसेना और वायूसेना में अफसरों की भरती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है। मध्य प्रदेश से तीनों सेनाओं में भर्ती किये गए अफसरों के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है।

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश से भरती किए गए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है:—

सेना			नौसेना	वायूसेना	
वर्ष	भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या	वर्ष	भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या	वर्ष	भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या
1994-95	2086	1995-96	19	1995-96	39
1995-96	2137	1996-97	19	1996-97	25
1996-97	1754	1997-98	24	1997-98	26

3. नौसेना और वायुसेना में अफसर रैंक से निचले रेंक के कार्मिकों की भरती अखिल भारतीय योग्यता सूची के आधार पर की जाती है। सेना में अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भर्ती राज्यवार कोटे के आधार पर भरती योग्य पुरुष जनसंख्या के समानुपात में की जाती है। सेना में मध्य प्रदेश से अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भरती, भरती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर उस राज्य के विहित कोटे से कम है। जैसाकि सेना मुख्यालय ने बताया है कि मध्य प्रदेश से अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों को भरती में कमी आने के कारण इस प्रकार हैं:—

(1) निम्न शैक्षिक स्तर।

(2) युवाओं में उत्साह की कमी।

(3) भरती के लिए रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों का शरिरिक तथा स्वास्थ्य स्तर उपयुक्त न होने के कारण अभ्यर्तियों को नामंजूर किया जाना।

4. मध्य प्रदेश से भरती में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:—

(1) सिविल प्रशासन के माध्यम से व्यापक प्रचार।

(2) अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं चलाने के वास्ते राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

5. आदिवासियों की भरती में वृद्धि करने की दृष्टि से उन्हें शैक्षिक योग्यता में छूट दी गई है जो अब दसवीं कक्षा के स्थान पर पांचवीं कक्षा रखी गई है।

6. अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भरती के लिए मध्य प्रदेश में पांच भरती केन्द्र हैं। ये भरती केन्द्र निम्नलिखित स्थालों पर स्थित हैं:—

(1) मुख्यालय भरती अंचल, जबलपुर।

(2) शाखा भरती कार्यालय, भोपाल

(3) शाखा भरती कार्यलय, ग्वालियर

(4) शाखा भरती कार्यलय, महू

(5) शाखा भरती कार्यलय, रायपुर

7. नौसेना तथा वायुसेना का अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए मध्य प्रदेश में कोई भरती केन्द्र नहीं है। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में अपसरों के लिए नौसेना का एक चयन केन्द्र है।

हथकरघा क्षेत्र में रोजगार

*518. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की संभावनाएं कपड़ा मिल और विद्युत चालित करघा क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय देश में हथकरघा विद्युत चालित करघा और कपड़ा मिल क्षेत्रों में कितने-कितने लोग कार्यरत होकर अपनी-अपनी आजीविका कमा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) हथकरघा क्षेत्र वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक रोजगार मुहैया करता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्र में अनुमानतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार में क्रमशः 124.00 लाख तथा 77.9 लाख जबकि वस्त्र मिल क्षेत्र में अनुमानतः 10.3 लाख को रोजगार प्रदान होता है। सरकार प्रत्येक क्षेत्र के समग्र विकास केलिए विभिन्न योजनायें कार्यन्वित करने के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने में सुविधा प्रदान करती है।

Shortage of Hotel Accommodation

*519. SHRI C. RAMACHAN-DRAIAH: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of hotel rooms sand approved hotel ac commodation;

(b) if so, the agency which studies and determines the extent of shortage of approved hotel accommodation;

(c) the manner in which Government propose to meet this cliallcngc from tourism point; and

(d) the details of steps proposed to be taken in 1998-99?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND TOURISM (SHRI MADAN LAL KHURANA): (a) In the approved sector, the Ministry of Tourism had estimated requirement of 1.25 lakh hotel rooms by 2000 A.D. Presently ilicre are about 65000 hotel rooms which are already functioning and another about 47000 hotel rooms are in various stagtcs of completion. The estimated shortage is likely to be about 13000 rooms.

(b) The Ministry of Tourism assigns specialised agencies to take up studies for forecasting the accommodation scenario for the future. In 1995 TAFSIL (Tourism Advisory and Financial Services Corporation Limited) was assigned the task of estimating the requirement for accommodation. This study was undertaken in close cooperation with Tourism Finance Corporation of India.

(c) and (d) Since the construction of hotels is a private sector activity, as a facilitator the Government of India extends fiscal benefits, duty concessions as well as interest subsidy to catalyse the private investment in the sector. The Government of India has also liberalised guidelines and procedures for foreign in-vestment and foreign collborations for attracting investment in the sector. The Ministry of Tourism is in touch with other various Ministries / Departments as well as the State Governments for extending various incentives and benefits as well as for rationalisation of taxes levied on the industry. The Ministry of Tourism is also in touch with the State Governments through the Ministry of Urban Development for identification of land for hotels throughout the country.